

केन्द्रीय मुहर विभाग - 2

हमारा संदर्भ- के मु वि -2/16: 15225

30 07 2024

विषय: IS 15225 : 2002 (पाइपों और फिटिंगों के इस्तेमाल के लिए क्लोरीनीकृत पोलीविनाइल क्लोराईड यौगिक— विशिष्टि) में संशोधन संख्या 1 का कार्यान्वयन।

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि IS 15225 : 2002 में संशोधन संख्या 1 प्रकाशित हो चुकी है । IS 15225 : 2022 में संशोधन संख्या 1 के अनुपालन की अंतिम तिथि **07 जनवरी 2025** है। सभी लाइसेंसधारकों/आवेदकों से आग्रह है कि IS 15225 : 2002 में संशोधन संख्या 1 के अनुपालन की तैयारी आरम्भ करें और **07 जनवरी 2025** तक इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

(इंद्रजीत सिंह) वैज्ञानिक-डी (के मु वि-2)

प्रमुख (के मु वि-2) सभी लाइसेंस धारकों/ आवेदकों को परिचालित प्रतिलिपि: सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय

CENTRAL MARKS DEPARTMENT-2

Our Ref: CMD-2/16: 15225 30 07 2024

Subject: Implementation of Amendment No. 1 to Indian Standard 15225 : 2002 (Chlorinated Polyvinyl Chloride Compounds Used for Pipes and Fittings — Specification)

This is to inform to all concerned that Amendment No. 1 to IS 15225 : 2002 has been published. Last date of implementation of the Amendment No. 1 to IS 15225 : 2002 is **07 January 2025**. All licensees/applicants are requested to initiate preparedness for implementation of the Amendment immediately and ensure its implementation by **07 January 2025**.

(Inderjeet Singh) Scientist D (CMD-2)

Head (CMD - 2)

Circulated to: All licensees/applicants

Copy to: BIS Branch Offices